# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

## पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

| मिसल नं0 | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 67/दावा/2013 | 15.04.2013 | 11 .11.2019 |

1. मोहन लाल
2. ओमप्रकाश
3. जगदीश
4. रामचरण
5. शिवराज
6. हेमराज

पिसरान — रामकिशन जाति नाई निवासी ग्राम छपावदा तह0 एवं जिला बून्दी (राज0)

7. कान्ता बाई बेवा रामकिशन जाति नाई निवासी ग्राम छपावदा तह0 एवं जिला बून्दी (राज0)
8. सोहन बाई पुत्री रामकिशन पत्नि नारायण जाति नाई निवासी ग्राम बड़ून्दा तह0 जिला बून्दी (राज0)
9. बद्री लाल आ0 गणेश उर्फ गणेशराम जाति मीणा निवासी ग्राम बाजड़ तह0 एवं जिला बून्दी (राज0)
10. मदन लाल आ0 गणेश उर्फ गणेशराम जाति मीणा निवासी ग्राम बाजड़ तह0 एवं जिला बून्दी (राज0)
11. मोत्या बाई बैवा गणेश उर्फ गणेशराम जाति मीणा निवासी ग्राम बाजड़ तह0 एवं जिला बून्दी (राज0)
12. बद्री बाई पुत्री गणेश उर्फ गणेश उर्फ गणेशराम पत्नि रामरतन जाति मीणा निवासी लुहारपुरा तह0 नैनवा जिला बून्दी (राज0)

.....वादीगण

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर बून्दी जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री लीलाधर सिंह
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

**– : : निर्णय : : –**

**वाद अन्तर्गत धारा–89 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट**

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि:–

1. यह कि कृषि भुमि खसरा सख्या 587 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा सख्या 525 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा सख्या 598 मि0 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, एव अपठित कटोती 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि वाले ग्रम डगलावदा पटवार क्षेत्र छपावदा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाजड तह0 एव जिला बून्दी में विस्थित है।
2. यह कि वाद चरण सख्या 1 मे वर्णित कृषि भुमि सम्वत 2042–45 के पूर्व से श्री महादेव जी महाराज स्थान देह पुजारी मोती लाल आत्मज धन्ना लाल कौम ब्रहम्ण के खातेदारी मे अकित चली आ रही थी परन्तु श्री महादेव जी महाराज कि सेवा पूजा वादीगण 1 लगायत 8 के पिता व पति रामकिशन आत्मज छीतर नाई निवासी छपावदा व वादीगण 9 लगायत 12 के पिता व पति गणेश पुत्र निवासी बाजड के द्वारा किये जाने के कारण पुजारी मोती लाल वल्द धन्ना लाल कौम ब्राहाम्ण ने श्री महादेव जी महाराज कि सेवा पूजा छोड कर सम्वत 2044 में श्री महादेव जी महाराज कि सेवा पूजा रामकिशन नाई व गणेश मीणा को संभला दी थी। उक्त सेवा पूजा के आधार पर सम्वत 2046 में श्री महादेव जी महाराज

उप खण्ड अधिकारी तालेडा

Scanned by CamScanner

स्थान देह खातेदार पुजारी रामकिशन आत्मज छीतर नाई निवासी छपावदा व गणेश पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी बाजड को सेवा पूजा करने तक खातेदार दर्ज किया था एवं सम्वत 2046 से 2049 की जमाबन्दी में रामकिशन आत्मज छीतर नाई निवासी छपावदा व गणेश पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी बाजड का नाम राजस्व रिकोर्ड मे खातेदार के रूप मे अंकित किया गया

3. यह कि वाद पत्र की चरण सख्या 1 में वर्णित भूमि मे से केचमेन्ट के समय 1 बीघा 5 बिस्वा अपठित कटोती की भुमि को खाते से हटा दिया गया इस प्रकार वाद पत्र की चरण सख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि का कुल रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा रह गया जो वर्तमान मे भी है सम्वत 2046 से 2049 की राजस्व जमाबन्दी मे श्री महादेव जी महाराज की सेवा पुजा व भोग आदि की व्यवस्था करने के कारण वादीगण के पिता व पति रामकिशन आत्मज छीतर नाई निवासी छपावदा व गणेश पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी बाजड का नाम अंकित किया गया। उस समय सम्वत 2046 से 2049 की जमाबंदी के कॉलम सख्या 17 में एक नोट इस बाबत अंकित किया गया कि 8 माह तक रामकिशन व चार माह तक गणेश मीणा सेवा पूजा करते रहने तक व भोग आदि की व्यवस्था करने तक ही काश्त कर सकेगे इस प्रकार जमाबन्दी मे अंकित इस नोट आधार पर ही वादीगण के पिता व पति रामकिशन व गणेश ने वाद पत्र की चरण सख्या 1 मे वार्णित कृषि भूमि का हिस्सा व बंटवारा किया एवं 8 माह की सेवा पूजा के आधार पर कृषि भूमि खसरा सख्या 525 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा व खसरा सख्या 598 जिसके वर्तमान खसरा सख्या 865/ 598 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा को वादीगण 1 लगायत 8 के पिता व पति रामकिशन आत्मज छीतर नाई के कब्जे काश्त व हिस्सेदारी मे रखा एवं चार माह कि सेवा पूजा के आधार पर कृषि भूमि खसरा सख्या 587 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादीगण 9 लगायत 12 के पिता गणेश आत्मज जगन्नाथ मीणा के कब्जे काश्त व हिस्सेदारी मे रखा इस प्रकार तब से आज तक इसी बटवारे व हिस्से के आधार पर वादीगण के पिता गणेश आत्मज जगन्नाथ मीणा के कब्जे काश्त व हिस्सेदारी मे रखा । इस प्रकार तब से आज तक इसी बटवारे व हिस्से के आधार पर वादीगण के पिता व पति अपने जीवन काल मे एव उनकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर आज तक काश्त चले आ रहे है । एवं उस नोट के आधार पर ही श्री महादेव जी महाराज की सेवा पूजा व भोग आदि की व्यवस्था उस से आज तक निरन्तर वादीगण के पिता व पति अपने जीवन काल मे एवं उनकी मृत्यु के वाद वादीगण करते चले आ रहे है

4. यह कि वादीगण 1 लगायत 8 के पिता रामकिशन आत्मज छीतर लाल कि मृत्यु दिनांक 13.9.2010 को हो गयी है उनकी मृत्यु के बाद रामकिशन जी के वैध वारिस व उत्तराधिकार वादीगण 1 लगायत 8 है एंव वादीगण 9 लगायत 12 के पिता गणेश उर्फ गणेशराम आत्मज जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 19.8.2004 को हो चूकि है जिनकी मृत्यु के बाद उनके वैध वारिस उत्तराधिकार वादीगण 9 लगायत 12 है इस प्रकार वादीगण के पूर्वज ही उक्त श्री महादेव जी महाराज की प्रतिमा शाश्वत अवयस्क की सेवा पूजा अर्चना एंव प्रबंध व्यवस्था निरन्तर,निर्बाघ वशांनुगत रूप से वादीगण करते चले आ रहे है इसमें वादीगण के अलावा किसी ओर का कोई हित निहीत नही है

5. यह कि श्री महादेव जी महाराज स्थान देहखातेदार की वाद वार्णित कृषि भूमि मे वादीगण के पिता व पति रामकिशन नाई व गणेश मीणा की खातेदारी को आदेश 13.12.1991 के द्वारा समाप्त कर दिया गया एंव उक्त वाद वर्णित भूमि को पुनः श्री महादेव जी स्थान देह खातेदार के नाम दर्ज कर दिया गया एंव उक्त खाते से वादीगण के पिता व पति रामकिशन नाई व गणेश मीणा का नाम विलोपित कर दिया गया । लेकिन अभी वर्तमान मे राज्य सरकार के द्वारा पत्र क्रमाक –3(2) राज –6 /2007/14 दिनांक 24.5.2007 को एक परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के द्वारा जारी करके यह आदंशित किया गया कि जो पुर्व मे मन्दिर माफी की भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम खातेदार पटटेदार खादीमदार

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

आदि नाम से दर्ज थी उन काश्तकारों को पूर्ण उतधिकार योग्य एंव हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है ऐसी भूमि को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि समत् नही है राजस्व रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा । इस आदेश के आधार पर सरकार की यह मन्शा है कि जो सन 1991 के आदेश के द्वारा जो जिन मन्दिर माफी भूमिका मे से पुजारियो के नाम या खातेदारो के नाम उक्त आदेश के अनुसार खाते से नाम विलोपित कर भूमिया मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज की गई थी उनको वापस पूर्वत स्थिती मे मन्दिर मूर्ति के साथ पुजारी को खातेदार दर्ज किया जावे एवं खाते मे सन् 1991 मे जो स्थिती बदली थी वह स्थिती बदली थी वह स्थिती वापस खाते मे रखी जावे यानि खाते से जो इन्द्राज हटाया गया था उसको वापस खाते मे इन्द्राज किया जावे यानि पूर्व की स्थिती खाते मे यथावत रखी जावे । इस आदेश दिनांक 24.5.2007 का परिपत्र जारी होने के बावजूद भी आज तक वादीगण का नाम पूर्वत खाते मे नही जोडा गया जबकि इसके बाद राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा क्रमांक राम/प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 6.1.2010 के द्वारा सभी सम्भागीय आयुक्त जिला कलेक्टर राजस्व अपील अधिकार को आदेश दिनांक 24.5.2007 की सयुचित पालना के सन्दर्भ मे लिखा गया उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे पूर्व में दर्ज ऐसे व्यक्तियो का नाम निरन्तर खातेदार के रूप मे दर्ज किया जावे । परन्तु आज तक भी उक्त के आदेश की पालना नही की गई है परन्तु आज तक भी उक्त आदेश की पालना नही कि गई है इसके बाद राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रंमाक....प03(2)राज0–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 को एक परिपत्र जारी किया गया है कि 31.12.1991 के आदेश की पालना मे पूर्ववर्ती राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी ) मे काश्तकारो की अंकित खातेदारी अंकल को बिना किसी रेफरेन्स प्रार्थाना पत्र पर पारित विधिक आदेश विलोपित कर दिया गया है ऐसे मामले राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 मे रिकॉर्ड दुरूस्ती के प्रावधान के अन्तर्गत निर्णित किये जाने चाहिऐं क्योकि ऐसे मामलो जिनमें बिना किसी विधिक आदेश के खातेदारी अंकित का रिकॉर्ड तैयारी के प्रावधान के समय विलोपन कर दिया हो उन्हे पत्र दिनांक 31.12 1991 की गलत व्याख्या के तहत की गई लिपिकिय भूल ही माना जावेगा और यह राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अंकन दुरूस्थ करने कि श्रेणी मे आते है अतःऐंसे मामलो मे प्रभवित काश्तकारो से धारा –136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विधिवत दायत करवाकर रिकॉर्ड दुंरूस्ती की कारवाई कि जावे । जहा ऐसे प्रकरण बहुतायायत मे है वहा पर केम्प लगाकर प्रकरणो का शीघ्र निस्तारण कर प्रभावित कृषको को राहत प्रदान की जावे । इस आदेश कि पालना भी आज तक नही हुई है एव वादीगण की भूमि वापस पूर्ववत स्थिती मे नही इन्द्राज की है जिससे वादीगण को काफी परेशानीयो का सामना करना पडता है इसलिए आदेंश दिनांक 24.5.2007 की पालना मे वाद पत्र कि चरण सख्या 1 मे वर्णित भूमि पर सन् 1991 की स्थिती राजस्व रिकॉर्ड मे वापस अंकित की जावे एव उक्त खाते मे पूर्व की स्थिती मे खातेदार महादेव जी महाराज स्थान देह खातेदार पुजारी रामकिशन पुत्र छीतर नाई सा0 छपावदा व गणेश पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी बाजड का नाम अंकित किया जावे एव उक्त खातेदार पुजारियो की मृत्यु होनें के कारण उनके स्थान पर वारिसान वादीगण का नाम खाते मे अंकित किया जावे

6. यह कि वादीगण ने वाद पत्र कि चरण सख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि में वापस वादीगण पिता व पति का नाम 24.5.2007 के आदेश कि पालना में दर्ज करने का कई बार निवेदन किया परन्तु उन्होने आज तक उक्त आदेश की पालना मे राजस्व रिकॉर्ड में पूर्ववत स्थिती दर्ज नही की । जिससे वादीगण को माफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है राजस्व रिकॉर्ड मे रामकिशन नाई व गणेश मीणा का नाम दर्ज नहीं होने के कारण उनकी एवं उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का नामान्तरण इन्द्राज नही हो पा रहा है एवं वादीगण लगातार महादेव जी की पूजा अर्चना एव सेवा व्यवस्था करते चले आ रहे है

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा



Scanned by CamScanner

वादीगण रामकिशन नाई व गणेश मीणा जो पूर्व खातेदार पुजारी थे के वारिसान एवं उत्ताधिकारी होने के कारण उनको उक्त आदेश के मुताबित राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज दुरूरत कराने का अधिकार प्राप्त है एवं उनकी मृत्यु होने के कारण उनके उत्तराधिकारी एवं वारिस होने के कारण वादीगण को अपना नाम उक्त खाते मे इन्द्राज करवाने का अधिकार भी प्राप्त है इस कारण का इन्द्राज दुरूस्थ करवाकर वादीगण को अपनी खातेदारी माननीय न्यायालय से घोषित करवाने का अधिकार प्राप्त है

7. यह कि वादीगण दिनांक 15.10.2012 को प्रतिवादीगण के पास गये एवं उनसे निवेदन किया कि दिनांक 24.5.2007 के आदेश कि पालना मे उक्त खाते मे पूर्व की स्थिती वापस इन्द्राज की जावे एवं खाता इन्द्राज दुरूस्थ किया जावे एवं वादीगण का नाम खाते मे अंकित किया जावे लेकिन प्रतिवादीगण ने 24.5.2007 के आदेश की पालना करने से मना कर दिया एवं इन्द्राज दुरूस्थ करने से भी मना कर दिया एवं वादीगण कें द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस देने के उपरान्तर भी 60 दिन की अवधि गुजर जाने के पश्चात भी नोटिस का जवाब नही देने एवं इन्द्राज दुरूस्ती नही करने के कारण इस प्रकार तब से लेकर वाद कारण लगातार आज तक उत्पन्न होता चला आ रहा है एवं 2007 से उक्त आदेश कि पालना नहीं करने के कारण लगातार उत्पन्न होता चला आ रहा है
8. यह कि उक्त परिस्थितियो मे वादीगण के द्वारा अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा करना आवश्यक हो गया है
9. यह कि दिनांक 2.11.2012 को राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बून्दी एवं श्रीमान तहसीलदार साहब बून्दी को वादीगण की ओर से एक रजिस्टर्ड नोटिस की सूचना इस बाबत जारी की गई जो दिनांक 5.11.2012 को उनको प्राप्त हो गई एवं श्रीमान तहसीलदार साहब तालेडा को भी एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 27.11.2012 इस बाबत भेजकर सूचना दी गई किन्तु नोटिस की अवधि दो माह व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण को वादीगण कोई जवाब नही दिया और प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 3 ने वाद पत्र की चरण सख्या 1 मे वार्णित कृषि भूमि को इन्द्राज दुरूस्त नही किया एव आदेश दिनांक 24.5.2007 की पालना नही की है एवं वादीगण का नाम खाते मे दर्ज नही किया है

अतः श्रीमान प्रार्थना है कि वादीगण के हक मे प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिकी प्रदान की जावे

1. यह कि आराजी कृषि भूमि खसरा सख्या 587 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा सख्या 525 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा खसरा सख्या 598 मि0 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा एंव अपठित कटोती 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि वाके ग्रम डगलावदा पटवार क्षेंत्र छपावदा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाजड तह0 एवं जिला बून्दी की राजस्व जमाबन्दी मे से वर्तमान इन्द्राज श्री महादेव जी महाराज स्थान देह खाते को विलोपित किया जाकर आदेश दिनांक 24.5.2007 की पालना मे सन् 1991 के खातेदार महादेव जी महाराज स्थान देह खातेदार पुजारी रामकिशन पुत्र छीतर नाई सा0 छपावदा व गणेश पुत्र जगनाथ मीणा निवासी बाजड का नाम अंकित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्थ करते हुए इन्द्राज किया जावे ।
2. यह कि वाद वर्णित भूमि मे इन्द्राज दुरूस्थ किया जाकर सन् 1991 की राजस्व जमाबन्दी की स्थिती पूर्ववत इन्द्राज की जावे एवं रामकिशन नाई व गणेश मीणा को खातेदार घोषित किया जाकर उनकी मृत्यु होने के कारण उनके स्थान पर वादीगण वारिस होने के कारण खातेदार घोषित किये जाने की घोषणा की जावे ।
3. यह कि आदेश दिनांक 24.5.2007 की पालना की जाकर 31.12.1991 कें अधार पर राजस्व जमाबन्दी से किये गये विलोपन को दुरूस्थ किया जाकर वापस स्थापित किया जावे एवं उक्त आदेश की पालना मे इन्द्राज दुरूस्थ किया जावे ।

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

4. यह कि वाद पत्र की चरण सख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि मे इन्द्राज दुरूस्त करते हुए श्री महादेव मन्दिर के पुजारी के रूप मे वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए वादीगण का नाम खातेदार के रूप मे अंकित फरमाया जावे।

5. यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जिसे वादीगण पाने के अधिकारी हो प्रदान की जावे ।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की और से कोई जवाब दावा पेश नही करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य में वादीगण की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 213 ग्राम डगलावदा संवत् 2066–69, खसरा गिरदावरी ग्राम डगलावदा संवत् 2066–69, नकल जमाबन्दी खाता सं0 170 ग्राम डगलावदा संवत् 2046–49, रामकिशन नाई का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.09.2010, गणेशराम का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 2.09.2004, रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस किता–3 की प्रतियाँ पेश की।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। विद्यवान अधिवक्ता वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा वादीगण को पुजारी की हैसियत से दर्ज नाम हटाया गया है। इस आदेश के आधार पर वादीगण को पुजारी की हैसियत से दर्ज नाम हटाना राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश की मंशा के विपरित कानून संगत नही माना है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.11.2011 को प03(2) राज–6/7/19 जारी कर आदेश किया है कि प्रार्थी धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विधिवत दायर कर के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही करे और अपना नाम वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि में कानूनन पुजारी की हैसियत से पुनः दर्ज करवा सके। वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर श्रीमहादेवजी महाराज स्थान देह खाते0 के साथ पुजारी के रूप में वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। दौराने बहस विद्यवान अधिवक्ता द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग परिपत्र प03(2)राज–6/07/19 जयपुर दिनांक 25.11.11 पेश किया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम को उधृत किया जाना समिचिन होगा।

136 गलतियों का शुद्धिकरण– भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार–अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे। परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही की जायेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।

प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण ने विवादित कृषि भूमि में श्री महादेव जी महाराज स्थान देह खाते0 के साथ पुजारी के रूप में वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की राहत चाही है। वाद पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र में मूल खातेदार श्रीमहादेव जी महाराज स्थान देह खाते0 को पक्षकार नही बनाया गया है, जबकि वादीगण के द्वारा चाही गई राहत मूल खातेदार के साथ राजस्व अधिकार अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने की है। दौराने बहस प्रस्तुत परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग परिपत्र प03(2)राज–6/07/19 जयपुर दिनांक 25.11.11 का अवलोकन किया। जिसके पेराग्राफ 3 में अंकित किया है कि–

उप खण्ड अधिकारी तावेडा



Scanned by CamScanner

''यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थी परन्तु भू-प्रबंध अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ-साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैद्य रूप से खातेदारी अधिकार प्रादुभूत हुये थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 31.12.91 की मंशा के विरूद्ध की गई थी। इस प्रकार पत्र दिनांक 31.12.91 की मंशा के विपरीत वैध्य काश्तकारों को खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नही था।'' उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि परिपत्र उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित करने से सम्बन्धित है जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैद्य रूप से खातेदारी अधिकार प्रादुभूत हुये थे। प्रस्तुत वाद पत्र जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम से सम्बन्धित नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा